

MCDR-MiFLOLST/23/2023-AJM-IBM_RO_AJM

Violation letter / उल्लंघन पत्र (Speed post/ द्रुत डाक)

I/29503/2024

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines, Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFLOLST/23/2023--AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: 12/04/2024

प्रेषित: The Agent,
Gagrana Limestone Mines
M/s Mangalam Cement Ltd.
Po Adityanagar, Morak-326520
District Kota (Rajasthan)
ईमेल: (mines@mangalamcement.com)

विषय- राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित आपकी गागराना चूनापत्थर खान क्षेत्रफल 200.00 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 08/12/2023 by undersign in presence of Shri Gopal Prajapati, Mines Foreman.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operation has not been carried out in accordance to the Review of Mining Plan approved on 27/12/2021 to the extent given below for the year 2022-23: 1. During the inspection it has been observed that in the working pit at some places the bench geometry is not as per proposals in approved document. The max. height of bench should not exceed 6 meters as approved. 2. It was proposed to mine out 75018 tones of ROM from the mine during the year 2022-23. But as per annual return submitted the quantity of ROM excavated during the year is 32324 tones, which is much below the proposed ROM production.
48	Record in prescribed Form-J of all boreholes has not been maintained / submitted.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आर्कषित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

12/04/2024
(पंकज कुलश्रेष्ठ)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर -

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जिला- नागौर।
4. रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक